न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 108/2018

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
1. निर्मल राजावत पत्नि बहादुर सिंह निवासी– सरदार समंद, तहसील–सोजत, जिला–पाली।	1.	सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री भवानीसिंह जैतावत, अधिवक्ता वादीया उपस्थित।
2. प्रतिवादी सरकार जरिए तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 25.02.2019

अधिवक्ता मय वादीया ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा मोड़ावास पटवार हल्का खामल तहसील– सोजत में खसरा नंबर 776, 786 तथा 788/830 कुल किता खसरा 03 कुल रकबा 10.6300 हैक्टर बा0दो0 की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें राजस्व रेकर्ड में मेरे पति स्व0 बहादुरसिंह पुत्र हरीसिंह के नाम से 2.300 हैक्टर कृषि भूमि है। जो कृषि भूमि दिनांक 23.05.1979 को मूल पत्रावली संख्या 815/79 से शामिल निस्तारित पत्रावली संख्या 1368/79 में निर्णय न्यायालय एवं सहायक भू प्रबंध अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 23.05.1979 को सम्वत् 2024 से 2033 तक का गैर खातेदार दर्ज है, इनके साथ अन्य कई कब्जेधारी भी थे, उन सभी के साक्ष्य सुनवाई व मौका रिपोर्ट कब्जे काश्त की मंगवाने के पश्चात् अपने अपने कब्जे के अनुसार मौके की तरमीम कर दुरस्त पर्चा लगान देने हेतु रिर्पोट ली गई। मौके की रिपोर्ट व अन्य कागजात का अवलोकन किया गया। जिसमें सभी खातेदारो का अरसा यानि समय सम्वत् 2024 में 2033 यानि 10 वर्ष गैर खातेदार दर्ज हो चुका है। अतः अब इनके नाम से खातेदारी दर्ज की जावें। तब सभी गैर खातेदारो को खातेदारी दी गई। उसमें वादीनी के पति स्व0 बहादुर सिंह पुत्र हरीसिंह निवासी–सरदार समंद का हिस्सा 2.3300 हैक्टर हिस्से को खातेदार दर्ज किया गया, जो आज्ञापत्र से स्पष्ट साबित है। खातेदारी दर्ज करने के पश्चात् जाचं मौके की रिपोर्ट तरमीम मोड़ावास तहसील सोजत मुताबिक आदेश ए.आर.ओ. साहब, जोधपुर 3 के अनुसार वर्तमान खसरा नंबर 786, 788/830, 776 किशोर सिंह पुत्र विशनसिंह बहादुरसिंह पुत्र हरीसिंह, पने सिंह पुत्र किशनसिंह, हेमसिंह पुत्र विशनसिंह नक्शे में तरमीम किया गया। इसी अनुसार सैटलमेन्ट विभाग द्वारा तरमीम पर्चा बनाया गया जिसमें यह स्पष्ट रूप से राजस्व रेकर्ड में वादीनी के पति बहादुरसिंह पुत्र हरीसिंह रकबा 2.3300 हैक्टर हिस्सा खातेदार दर्ज किया गया जिसमें वास्तविक खातेदार उपरोक्त हिस्से की भूमि की बहादुर सिंह पुत्र हरीसिंह ही है। जो राजस्व रेकर्ड भू प्रबंधक विभाग जोधपुर के आज्ञा पत्र एवं तरमीम व खसरा मिलान से साबित है। सेटलमेंट के पश्चात् प्रथम

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

जमाबंदी नकल यानि चौसाला सेटलमेंट के रेकर्ड के अनुसार सम्वत् 2042 से 2045 में बनाया गया तब गलती एवं सेव से अर्थात् सद्भाविक भूल से जमाबंदी में बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह व बहादुरसिंह पुत्र हरीसिंह हिस्सा 2.3300 हैक्टर लिख दिया गया। जबकि बहादुरसिंह नाम का एक ही व्यक्ति इनके परिवार व खातेदारानो में थां जो बहादुर सिंह पुत्र हरीसिंह ही था, बहादुरसिंह पुत्र बिड़रसिंह नाम का कोई व्यक्ति ग्राम सरदार समंद या मोडावास में या उपरोक्त कृषि भूमि में कोई खातेदार या कृषक नही था, लेकिन पटवारी की छोटी सी भूल के कारण नया नाम बहादुर सिंह पुत्र बिड़दसिंह दर्ज हो गया जिसको हटाया जाना आवश्यक है। क्योकि यह दुसरे नाम का बहादुर सिंह पुत्र बिड़दसिंह कोई व्यक्ति है ही नही तो इसका नाम हटाया जाना जरूरी है, क्योकि वास्तविक बहादुरसिंह पुत्र हरीसिंह के नाम की कृषि भूमि 2.300 हैक्टर का 1/2 हिस्सेदार बन चुका है, जो की वर्तमान में राजस्व रेकर्ड के अनुसार बिना वयक्ति के है तथा 1.1750 हैक्टर का मालिक बना हुआ है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। बहादुर सिंह के साथ सभी खातेदारान को म्यूटेशन नंबर 330 दिनांक 20.06.2000 को खातेदार हक प्रदान की गई। बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह नाम का कोई व्यक्ति सम्वत् 2054 से 2057 तक नही है। बहादुरसिंह पुत्र हरीसिंह के नाम से ही गैर खातेदारी व खातेदारी दर्ज हुई है तथा बहादुरसिंह पुत्र हरीसिंह का देहान्त दिनांक 04.02.2009 को हो चुका है। इनके पिछे मात्र वारिसान इनकी धर्मपत्नी वादीनी निर्मल राजावत पत्नी स्व0 बहादुर सिंह ही है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 776, 786, 788/830 में से रकबा 2.3300 हैक्टर में से बहादुर सिंह पुत्र बिड़द सिंह का नाम हटाया जाकर उनकी जगह वादीया निर्मल राजावत पत्नी बहादुरसिंह का नाम घोषित किया जावे एवं साथ ही राजस्व रेकर्ड में भी खाता दुरस्त कर खातेदार 2.3300 हैक्टर पुरे का वादीया का नाम दर्ज किया जावे। राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो की सद्भाविक भुल के कारण वादीया अपने हक अकूक एवं खातेदारी अधिकार से वांचित है, जिसे शृद्धिकरण कर राजस्व रेकर्ड में बहादुरसिंह पुत्र बिड़द सिंह का नाम हटाया जाना (रेकर्ड दुरस्त) किया जाना आवश्यक है। वादीया जब बैंक में ऋण लेने गई तब रेकर्ड मंगवाया गया तो नकले प्राप्त की गई, तब पता चला कि वादीया के मेरे पति के दो नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है लेकिन दोनो ही नामो के आगे वल्दियत अलग लिखी हुई है। जिससे बिनायदावा दिनांक 23.07.2018 को हुआ। इस प्रकार राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर मौजा–मोडावास पटवार हल्का खामल तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0न0 776, 786 व 788/830 कुल किता 3 रकबा 10.6300 है0 बा0अ0 में से रकबा 02.3300 है0 की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह व बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह के दर्ज नाम में से गलत रूप से दर्ज बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह नाम को हटाया जाकर दुरूस्तीकरण किया जाकर वादिया का वास्तविक व सही नाम निर्मल राजावत पत्नि बहादुरसिंह राजावत रकबा 02.3300 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती प्रविष्टि किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत को वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने प्रस्तुत जबाब दावा में प्रकरण को न्यायिक प्रक्रिया का होने से न्यायिक प्रक्रिया से नाम संशोधित किये जाने में आपति/एतराज नहीं होना अंकित किया है। राजस्व वाद के उक्त प्रकरण में फहरिश्त मय दस्तावेजात के साथ सरपंच, ग्राम पंचायत सरदारसमंद द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र दिनांक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

.2.2019 पेश किया है, के अनुसार बहादुर सिंह पुत्र हरिसिंह राजावत, जाति–राजपूत, सा0–सरदारसमंद के निवासी होने तथा इसके अलावा बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह के नाम का ग्राम सरदारसमंद में अन्य कोई व्यक्ति होना प्रमाणित किया है, प्रमाण–पत्र सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादीया ने शहादतवादी पी0डब्ल्यु–1 का तस्दीक सुदा शपथ–पत्र दिनांक 25.02.2019 को पेश किया, सामिल मिसल है। तस्दीक सुदा शपथ–पत्र में वादिया ने अंकित किया कि वादिया का नाम निर्मल राजावत पत्नि स्व0 बहादुर सिंह उम्र 65 वर्ष निवासी सरदारसमंद तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासी मकान नम्बर 47/1149 श्रीनाथ मंदिर मार्ग, कुन्दन नगर, अजमेर, राजस्थान की हूँ। मेरे स्व0 पति बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह थे, जिनके नाम की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम मोडावास में आवंटन हुई थी। जिसका राजस्व रेकर्ड में सम्वत् 2042 में नाम दर्ज करते वक्त से वहादुर सिंह पुत्र हरिसिंह लिखा गया था, लेकिन साथ ही एक और नाम गलती से मेरे हिस्से में वहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह दर्ज कर दिया गया, लेकिन वहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति मेरे परिवार, मेरे समाज या मेरे गांव सरदारसंमद व मौड़ावास में कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए बहादुरसिंह पुत्र विड़दसिह का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर रेकर्ड दुरूस्त कर रेकर्ड दुरूस्त किया जावे, यदि बहादुसिंह पुत्र बिड़दसिंह नाम का कोई व्यक्ति होगा तो उसकी तमाम जिम्मेदारी मेरी व्यक्तिगत होगी।

बहस अधिवक्ता वादिया एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ–पत्र, दस्तावेजात, सरपंच ग्राम पंचायत सरदारसमंद के प्रमाण–पत्र दिनांक 14.02.2019 तथा तस्दीक सुदा शहादतवादी के शपथ पत्र अनुसार उक्त भूमि के आवंटन के पश्चात् गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार दिये गये। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बनाये गये पर्चा लगान में वहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह रकवा 2.3300 है0 हिस्सा खातेदार बतौर दर्ज है जो खसरा मिलान से भी बखूबी साबित है। सैटलमेंट के पश्चातवर्ती जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 में सदभाविक भूलवश जमाबन्दी में बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह व बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 2.3300 है0 दर्ज कर दिया। जबकि बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना बखूबी साबित है। जिसकी संपुष्टि प्रस्तुत सरपंच प्रमाण–पत्र एवं तस्दीक सुदा शहादतवादी के शपथ–पत्र से स्पष्टः होती है। जिससे वादीया का वाद स्वीकार किये जाने, माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने तथा विवादग्रस्त खसरा नम्बर 776, 786 788/830 कुल किता 3 रकवा 10.6300 है0 की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वहादुरसिंह पिता बिड़दसिंह व बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज है में से बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह की प्रविष्टि हटाकर (चूंकि वहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह फौत हो चुके है) निर्मल राजावत पत्नि वहादुरसिंह रकबा 2.3300 है0 की दुरुस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। उक्त दुरूरती किये जाने में बहस के दौरान तहसीलदार, सोजत ने भी स्वीकारोक्ति/सहमति व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात, सरपंच ग्राम पंचायत सरदारसमंद द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र दिनांक 14.02.2019 एवं तस्दीकसुदा शहादतवादीया का शपथ–पत्र आदि का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादिया एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत सरहद मौजा मौडावास पटवार

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

हल्का खामल की उक्त विवादित भूमि में सदभाविक भूलवश जमाबन्दी में बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह व बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह हिस्सा 2.3300 है0 दर्ज कर दिया। जबकि बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना बखूबी साबित है। जिसकी संपुष्टि प्रस्तुत सरपंच प्रमाण–पत्र एवं तस्दीक सुदा शहादतवादी के शपथ–पत्र से स्पष्टः होती है। जिससे वादीया का वाद स्वीकार किया जाना, माफिक दावा वाद डिक्री किया जाना तथा विवादग्रस्त सरहद मौजा मौडावास, पटवार हल्का खामल, तहसील सोजत में स्थित खसरा नम्बर 776, 786 788/830 कुल किता 3 रकबा 10.6300 है0 की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में बहादुरसिंह पिता बिड़दसिंह व बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज है में से बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह की प्रविष्टि हटाकर (चूंकि बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह फौत हो चुके है) निर्मल राजावत पत्नि बहादुरसिंह रकबा 2.3300 है0 की दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीदार सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता मय वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा मौडावास, पटवार हल्का खामल, तहसील सोजत में स्थित खसरा नम्बर 776, 786 788/830 कुल किता 3 रकबा 10.6300 है0 की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में बहादुरसिंह पिता बिड़दसिंह व बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज है में से बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह की प्रविष्टि हटाकर (चूंकि बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह फौत हो चुके है) निर्मल राजावत पत्नि बहादुरसिंह रकबा 2.3300 है0 की दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीदार सोजत को आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब होकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार, सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रमाणित छाया प्रति भेजकर पालना भिजवाने हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को सरे ईजलाश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकदद्में इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

वादीया	बनाम	प्रतिवादी
1. निर्मल राजावत पत्नि बहादुर सिंह निवासी– सरदार समंद, तहसील–सोजत, जिला–पाली।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u>

<u>राजस्व वाद संख्या</u> :– 108/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्ता वादीया तथा तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत प्रति0 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता मय वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा मौडावास, पटवार हल्का खामल, तहसील सोजत में स्थित खसरा नम्बर 776, 786 788/830 कुल किता 3 रकबा 10.6300 है0 की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में बहादुरसिंह पिता बिड़दसिंह व बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह दर्ज है में से बहादुरसिंह पुत्र बिड़दसिंह की प्रविष्टि हटाकर (चूंकि बहादुरसिंह पुत्र हरिसिंह फौत हो चुके है) निर्मल राजावत पत्नि बहादुरसिंह रकबा 2.3300 है0 की दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीदार सोजत को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रमाणित छाया प्रति भेजकर पालना भिजवाने हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –– मुबलिग –– बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.02.2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली)

(अयूब खान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner